हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084. www.rashtriyaswabhimaan.com

● वर्ष : 18 ● अंक : 127 ● मुंबई, गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 ● पृष्ठ : 4 ● मूल्य 1 रुपए

महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 से 18 दिसंबर तक

नागपुर में दो सप्ताह चलेगा सत्र, वपिक्ष की एक महीने की मांग सरकार ने ठुकराई; यूसीसी वधिेयक पेश करने की तैयारी, दादर स्टेशन का नाम चैत्यभूमि करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी

मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल के बहुप्रतीक्षित शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 से 18 दिसंबर 2026 तक नागपुर में आयोजित किया जाएगा। बुधवार को विधानभवन में विधानसभा और विधान परिषद की कामकाज सलाहकार समितियों की संयुक्त बैठक में सत्र की अवधि और तारीखों पर अंतिम मुहर लगाई गई। बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच सत्र की अवधि को लेकर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष की ओर से एक महीने तक सत्र चलाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। सरकार ने दो सप्ताह के सत्र का कार्यक्रम तय किया है। इस सत्र में राज्य के सूखे, किसानों की समस्याओं, आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है।

बैठक में सभापति राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित कई मंत्री तथा विधायक उपस्थित रहे। कामकाज सलाहकार समितियों की संयुक्त बैठक में विधायी कार्यों की संभावित रूपरेखा और सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। नागपुर में होने वाला यह सत्र राज्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष सरकार को सूखे और किसानों की बदहाली सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।

बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड और सुनील प्रभु ने सत्र की अवधि बढ़ाकर कम से कम एक महीने करने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि महाराष्ट्र इस समय सूखे और किसानों की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में राज्य के सामने मौजूद चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करने और सरकार से जवाब मांगने के लिए दो सप्ताह का समय पर्याप्त नहीं होगा। विपक्ष ने किसानों को राहत, कर्ज वसूली, फसल नुकसान और ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हुई समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जरूरत बताई।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में सूखे के कारण हालात खराब हैं और किसानों को न्याय दिलाने के लिए एक महीने का सत्र बुलाया जाना चाहिए था। उनका आरोप था कि विपक्ष की ओर से



इतने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने के बावजूद सरकार ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष का मानना है कि छोटे सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती और सरकार की जवाबदेही तय करने का अवसर भी सीमित हो जाता है। हालांकि, सरकार ने विपक्ष की मांग स्वीकार नहीं की और 7 से 18 दिसंबर तक का कार्यक्रम निर्धारित किया।

इस शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किए जाने की संभावना भी राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय रहेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य सरकार दिसंबर के सत्र में इस विधेयक को पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति को समान नागरिक संहिता के संबंध में अपनी सिफारिशें देने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। समिति की रिपोर्ट और सरकार की तैयारी के आधार पर विधेयक को सदन में लाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

समान नागरिक संहिता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक बहस जारी है। सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वर्ष 2029 से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाएंगी। ऐसे में महाराष्ट्र में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने की संभावित तैयारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि सरकार इसे सदन में लाती है, तो इसके प्रावधानों, कानूनी पहलुओं और सामाजिक प्रभावों को लेकर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच चर्चा होने की संभावना है।

शीतकालीन सत्र के दौरान दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि दादर स्टेशन का नाम चैत्यभूमि करने की प्रक्रिया आगामी विधानसभा सत्र में पूरी की जाएगी। राज्य सरकार इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है। अब केंद्र सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में विधायी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नामकरण की आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अनुयायियों और लंबे समय से इस मांग को उठाने वाले संगठनों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों को लेकर भी राज्य सरकार सक्रिय है। आगामी 5 और 6 दिसंबर को मुंबई के चैत्यभूमि और शिवाजी पार्क में करीब 15 लाख अनुयायियों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, स्वच्छता और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और पिछले वर्षों में सामने आई कमियों को दूर करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चैत्यभूमि और शिवाजी पार्क पहुंचने वाले अनुयायियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस, महानगरपालिका, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे और परिवहन से जुड़े अधिकारियों को पहले से तैयारी करने को कहा गया है। बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के कारण भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई। उन्होंने गृह विभाग को चैत्यभूमि परिसर में धरने, प्रदर्शन, जुलूस और आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आधिकारिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही और दर्शन व्यवस्था प्रभावित न हो। पुलिस तथा प्रशासन को शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल बनाए रखने को कहा गया है।

यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों की संख्या को देखते हुए संबंधित मार्गों पर यातायात नियंत्रण किया जाएगा। निर्देशों के तहत ऑटोरिक्शा की आवाजाही पर रोक लगाने, वाहनों के आवागमन को व्यवस्थित करने और रेलवे, सड़क परिवहन तथा स्थानीय परिवहन के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इससे मुंबई के विभिन्न हिस्सों से चैत्यभूमि पहुंचने वाले लोगों को सुविधा मिल सकेगी और प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में बताया कि लाखों अनुयायियों के ठहरने, आराम करने और भोजन की व्यवस्था के लिए बड़े मंडप तथा जर्मन हैंगर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और रेलवे से जुड़ी सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुंबई में प्रवेश करने वाले वाहनों को टोल में छूट देने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार करने की बात कही गई। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने तथा सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहकर काम करने के निर्देश दिए। बैठक में इंदू मिल स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक के लंबित कार्यों की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि स्मारक के शेष निर्माण कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्य प्रतिमा सहित कुछ कार्य अभी पूरे होने बाकी हैं। यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, तो सरकार आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में अगले सप्ताह अलग से बैठक आयोजित करने की बात भी कही गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्यभर में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाओं की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम अगले पांच से सात दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए। इस तरह दिसंबर में नागपुर में होने वाला शीतकालीन सत्र केवल विधायी कामकाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सूखे और किसानों की समस्याओं के साथ समान नागरिक संहिता, दादर स्टेशन के नामकरण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी राजनीतिक चर्चा होने की संभावना है।

जिला अदालतों के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की, कामकाज जल्द होगा सामान्य

मुंबई। महाराष्ट्र की जिला और सत्र अदालतों के कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के कर्मचारियों के समान वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर कर्मचारी मंगलवार से आंदोलन कर रहे थे। इस हड़ताल के कारण राज्यभर की जिला और निचली अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर अदालती कार्यवाही और प्रशासनिक गतिविधियों पर इसका असर देखने को मिला। हालांकि, हाई कोर्ट के चार न्यायाधीशों के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद गतिरोध दूर करने की दिशा में सहमति बनी और कर्मचारियों ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया।

न्यायिक कर्मचारी यूनियनों की ओर से जारी नोट के अनुसार, हड़ताल समाप्त कराने और कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के चार न्यायाधीशों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में न्यायमूर्ति एएस गडकरी, न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी, न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सुमन श्याम शामिल हुए। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों और हड़ताल के पीछे के कारणों को सामने रखा। बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों और न्यायिक प्रशासन के बीच बने गतिरोध को दूर करना था, ताकि अदालतों का कामकाज प्रभावित न हो।

बैठक के दौरान न्यायाधीशों ने हड़ताल के कारण आम लोगों और न्यायिक व्यवस्था को हो रही परेशानियों का उल्लेख किया। अदालतों में लंबित मामलों की सुनवाई, मुकदमों से जुड़े काम और अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं प्रभावित होने से वादकारियों,

काला पानी की धरती पर बदलेगा जेलों का चेहरा, 132 साल पुराना कानून खत्म



अंडमान/नई दिल्ली। देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 'काला पानी' के नाम से पहचाने जाने वाले अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कारागार व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। ब्रिटिश शासन के दौर में बनाए गए 132 साल पुराने कारागार अधिनियम, 1894 की जगह अब नई व्यवस्था लागू की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लागू होने वाला 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार और सुधार सेवा विनियमन, 2026' केंद्र शासित प्रदेश की जेल व्यवस्था को नया स्वरूप देगा। इसका उद्देश्य केवल कैदियों को बंद रखना और उन पर नियंत्रण करना नहीं, बल्कि उन्हें सुधार के अवसर उपलब्ध कराना, उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना तथा सजा पूरी होने के बाद समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार करना है।

नए विनियमन के लागू होने के बाद कारागार अधिनियम, 1894, कैदी अधिनियम, 1900 और कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 की जगह नई कानूनी व्यवस्था लेगी। इस बदलाव को औपनिवेशिक दौर की दंड-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर आधुनिक, मानवीय और सुधारोन्मुख कारागार प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई व्यवस्था में संस्थागत सुरक्षा के साथ-साथ कैदियों के पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास और समाज में पुनः एकीकरण को भी प्रमुखता दी गई है। ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1894 में बनाया गया कारागार अधिनियम उस समय की प्रशासनिक और दंडात्मक सोच को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। उस दौर में जेलों का प्रमुख उद्देश्य कैदियों को बंद रखना, अनुशासन बनाए रखना और उन्हें दंडित करना था। कैदियों की निगरानी और नियंत्रण को ही कारागार प्रशासन का मुख्य आधार बनाया गया था। समय के साथ समाज, कानून और मानवाधिकारों को लेकर सोच में व्यापक बदलाव आया, लेकिन जेलों से संबंधित इस पुराने कानून का मूल ढांचा लंबे समय तक लगभग उसी औपनिवेशिक दृष्टिकोण पर आधारित रहा।

आजादी के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई और संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को समानता, गरिमा तथा न्याय के अधिकार प्रदान किए। इसके बावजूद कारागार व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ी। जेलों को केवल सजा काटने का स्थान मानने के बजाय उन्हें सुधार और पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही। नई पीढ़ी की जरूरतों, बदलते सामाजिक परिवेश और कैदियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक कारागार व्यवस्था की मांग लगातार महत्वपूर्ण होती गई। पुराने कानून में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, दिव्यांग और विशेष जरूरतों वाले कैदियों के लिए सुलभ सुविधाओं, लैंगिक संवेदनशीलता तथा भेदभाव रहित व्यवहार जैसे पहलुओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिला था। इसके अलावा कैदियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने तथा सजा पूरी होने के बाद सामान्य जीवन में वापस लौटने में मदद देने के लिए भी व्यापक सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। नई व्यवस्था इन पहलुओं को कारागार प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाती है। 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार और सुधार सेवा विनियमन, 2026' में मानवीय गरिमा, समानता और भेदभाव रहित व्यवहार जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है।

रोहित पवार के आरोपों पर सुप्रिया सुले ने बनाई दूरी, पार्टी से नहीं मिला खुला समर्थन

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाकर चर्चा में आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार अब अपनी ही पार्टी में अलग-थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। उनके आरोपों को लेकर पार्टी की वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले ने जिस तरह से दूरी बनाई है, उससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सुले ने साफ किया कि रोहित पवार ने जो पत्रकार परिषद की थी, वह पार्टी की ओर से अधिकृत नहीं थी। उन्होंने उसमें अपनी व्यक्तिगत राय रखी थी। इस बयान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या रोहित पवार के आरोपों को पार्टी का समर्थन हासिल नहीं है?

दरअसल, रोहित पवार ने सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री की एक तस्वीर दिखाते हुए उन्हें 'मफलर मैन' के रूप में प्रस्तुत किया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी के मालिक की संपत्ति, उनके कथित आपराधिक संबंधों और विमान हादसे से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाते हुए राज्य सरकार की भूमिका



पर सवाल खड़े किए थे। उनके आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। विपक्षी दलों ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। रोहित पवार की पत्रकार परिषद के बाद भाजपा नेताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) से यह स्पष्ट करने की मांग की थी कि क्या मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप पार्टी की आधिकारिक भूमिका हैं? भाजपा नेताओं का सवाल था कि यदि किसी विधायक ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो क्या उन्हें पार्टी नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है? इसी के बाद पार्टी की वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले का बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुप्रिया सुले ने रोहित पवार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रोहित पवार ने स्वयं बताया है कि उन्होंने क्या देखा और पत्रकार परिषद में क्या कहा। ऐसे में इसमें पार्टी के समर्थन की बात कहां से आती है? उन्होंने स्पष्ट किया कि रोहित पवार की पत्रकार परिषद पार्टी की ओर से अधिकृत नहीं थी। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी थी। सुले के इस बयान से यह संकेत मिला कि पार्टी नेतृत्व फिलहाल रोहित पवार के आरोपों की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से लेने के पक्ष में नहीं है।

सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि उन्होंने रोहित पवार की पूरी पत्रकार परिषद नहीं देखी है। उन्हें इस मामले की जानकारी अखबारों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से मिली है। ऐसे में उनके लिए पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने वीएसआर कंपनी और विमान हादसे से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर भी कोई निश्चित राय देने से परहेज किया। सुले ने कहा कि वह विमानन विशेषज्ञ नहीं हैं और इस विषय के तकनीकी पक्षों की जानकारी रखने का दावा नहीं कर सकतीं।

उन्होंने बताया कि रोहित पवार ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से कुछ मांगें की हैं। अब संबंधित जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सुले की इस प्रतिक्रिया को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक ओर रोहित पवार ने सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी की प्रमुख सांसद ने उन आरोपों को पार्टी की आधिकारिक आवाज मानने से इनकार कर दिया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटनाक्रम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रोहित पवार के आरोपों ने जहां सरकार को घेरने का प्रयास किया, वहीं सुप्रिया सुले के बयान ने पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर एक अलग स्थिति उजागर कर दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रोहित पवार अपने आरोपों को लेकर आगे क्या कदम उठाते हैं और पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले पर भविष्य में कोई औपचारिक रुख अपनाता है या नहीं। फिलहाल सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया से इतना स्पष्ट है कि रोहित पवार की पत्रकार परिषद को पार्टी का अधिकृत बयान नहीं माना जा रहा है।

बर्ड फ्लू से मुर्गियों को बचाने के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार

भोपाल। देश में पोल्ट्री उद्योग को बर्ड फ्लू के गंभीर प्रकोप से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने जा रही है। भारत में पहली बार मुर्गियों के लिए स्वदेशी इनएक्टिवेटेड एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) वैक्सीन विकसित की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को इस वैक्सीन को लॉन्च करेंगे। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (एनआईएचएसएडी) ने तैयार किया है। यह वैक्सीन देश में फैल रहे क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1 वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। फिलहाल इस स्ट्रेन के लिए कोई विशिष्ट व्यावसायिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में स्वदेशी वैक्सीन का विकास पोल्ट्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लूएंजा मुर्गियों और अन्य पक्षियों को प्रभावित करने वाली अत्यंत गंभीर संक्रामक बीमारी है। इसका संक्रमण तेजी से फैल सकता है और संक्रमित पक्षियों में मृत्यु दर बहुत अधिक हो सकती है। कई मामलों में पक्षियों की मृत्यु लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका रहती है। बीमारी का प्रकोप सामने आने पर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर पक्षियों को



मारना पड़ता है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों से पोल्ट्री उत्पादों के व्यापार और परिवहन पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसका सीधा असर मुर्गी पालन करने वाले किसानों, पोल्ट्री फार्म संचालकों, अंडा और चिकन कारोबारियों तथा इस उद्योग से जुड़े अन्य लोगों की आजीविका पर पड़ता है।

भारत में बर्ड फ्लू के संक्रमण का इतिहास भी चिंता बढ़ाने वाला रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2006 में देश में पहली बार इस बीमारी का पता चला था। इसके बाद से एच5एन1 और एच5एन8 वायरस के 500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अलग-अलग समय पर हुए प्रकोपों ने पोल्ट्री क्षेत्र के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। संक्रमण फैलने के बाद पक्षियों को नष्ट करने, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और आवाजाही पर रोक लगाने तथा फार्मों को संक्रमणमुक्त करने जैसी कार्रवाई करनी पड़ती है। इससे कारोबार लंबे समय तक प्रभावित हो सकता है।

बर्ड फ्लू का असर केवल मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, एक बड़े प्रकोप की स्थिति में देश की जीडीपी वृद्धि 1.5 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है। वहीं, यदि संक्रमण पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो देश की 20 प्रतिशत से अधिक पोल्ट्री आबादी खतरे में पड़ सकती है। वर्ष 2006 में बीमारी के प्रकोप से करीब 2,200 से 3,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था। यह आंकड़ा बताता है कि बर्ड फ्लू का प्रकोप किस तरह एक बड़े आर्थिक संकट का रूप ले सकता है।

पोल्ट्री उद्योग देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे लाखों किसान, छोटे पशुपालक, पोल्ट्री फार्म संचालक, परिवहन कारोबारी, पशु आहार निर्माता और खुदरा विक्रेता जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन अनेक परिवारों के लिए आय और रोजगार का साधन है। ऐसे में बीमारी का प्रकोप होने पर केवल बड़े पोल्ट्री फार्म ही नहीं, बल्कि छोटे स्तर पर मुर्गियां पालने वाले परिवार भी प्रभावित होते हैं। संक्रमण के डर से बाजार में चिकन और अंडों की मांग पर भी असर पड़ सकता है, जिससे कारोबारियों को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता है।

अब तक बर्ड फ्लू के प्रकोप से निपटने के लिए निगरानी, संक्रमित पक्षियों को हटाने, प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण उपाय लागू करने और जैव सुरक्षा के नियमों का पालन कराने पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। लेकिन किसी विशिष्ट वायरस स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध होने से बीमारी की रोकथाम के प्रयासों को अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है। भारत में विकसित नई वैक्सीन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसे स्वदेशी स्तर पर तैयार किए जाने से देश को इस क्षेत्र में अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा।

राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। यह संस्थान पशुओं और पक्षियों में फैलने वाली गंभीर संक्रामक बीमारियों के अध्ययन और अनुसंधान से जुड़ा है। नई वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड श्रेणी में रखा गया है। इसका लक्ष्य देश में फैल रहे क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1 वायरस के खिलाफ मुर्गियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस स्ट्रेन के लिए विशिष्ट व्यावसायिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका स्वदेशी विकास विशेष महत्व रखता है।

संपादकीय

ढह रहे हैं घर लेकिन जवाबदेही तय नहीं

पिछले कुछ समय से दिल्ली में जर्जर इमारतों से होने वाले हादसों में मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिसमें अनेक निर्दोष लोगों की जान असमय चली जाती है। विडंबना यह है कि इन बड़े हादसों के बाद सत्ताधीशों व राजनेताओं की बयानबाजी ही सामने आती है। फिर अगले हादसे तक खामोशी ओढ़ ली जाती है। बड़े-बड़े दावों के बीच 'ट्रिपल इंजन सरकारें' भी जर्जर भवनों के हादसे रोक पाने में असहाय नजर आ रही हैं। इन हादसों के बावजूद निर्माण संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने की पहल होती नजर नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों की कोई जवाबदेही भी तय नहीं की जाती। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपराधिक लापरवाही के लिये किसी दोषी को दंडित किया गया हो। साथ ही बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के मामले में भी तंत्र की तरफ से कोई गंभीर कार्रवाई होती नजर नहीं आती। मंगलवार को शाहदरा के ज्वाला नगर में एक इमारत ढह गई, जिसमें एक तीन साल के बच्चे समेत दो लोगों की जान चली गई। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बना हुई थी। दुखद ही है कि ऐसी दुर्घटनाओं की सूची दिन-ब-दिन लंबी होती जा रही है। सितंबर में तब काफी बवाल मचा था जब सत्य निकेतन की पांच मंजिला इमारत ढह गई थी। जिसमें पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी। तब क्योंकि छात्र आंदोलन का दौर चल रहा था तो छात्रों के गुस्से के मद्देनजर बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद 'वही ढाक के तीन पात' वाली स्थिति सामने आई। बीते अक्तूबर में भी सीमापुरी में जमीन धंसने से चार लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह पांच नवंबर को चावड़ी बाजार हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी।

दुखद यह है कि दुर्घटनाओं का यह अंतहीन सिलसिला लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि मई और जुलाई में भी सैदुलजाब और रोहिणी में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। पिछले हफ्ते पहाड़गंज में एक निर्माण स्थल पर छत ढह गई थी। लेकिन गनीमत रही है कि चमत्कारिक रूप से किसी की जान नहीं गई। बहरहाल, बार-बार होने वाली ये त्रासदियां यह स्पष्ट कर देती हैं कि राजधानी में असुरक्षित इमारतें- अब चाहे वे कॉमर्शियल हों या रिहायशी, पुरानी हों या निर्माणाधीन, अधिकृत हों या अनधिकृत- मौत का जाल बनती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इन हादसों की जवाबदेही तय करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लंबे समय से यह स्थिति बनी हुई है। पुरानी जर्जर इमारतों की अनदेखी, निर्माण के तौर-तरीकों में आपराधिक लापरवाही, सुरक्षा जांच में कमी और प्रशासनिक लापरवाही के चलते बार-बार लोगों की जान जोखिम में डाला जाना बदस्तूर जारी है। इसमें दो राय नहीं कि यह प्रशासन की विफलता है। विडंबना यह है कि स्थानीय प्रशासन व नगर निकाय घटना के बाद कार्रवाई- मसलन मलबे की जांच करने, चंद अधिकारियों के निलंबन या प्राथमिकी दर्ज करने तक सीमित रह जाता है। वास्तव में होना यह चाहिए कि उन इमारतों को चिन्हित किया जाए, जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। ताकि समय रहते कार्रवाई करके लोगों की जान बचायी जा सके। बाद में कार्रवाई करने से ज्यादा जरूरी है कि ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति ही न हो। सही मायने में दिल्ली में असुरक्षित व जर्जर इमारतों के सुरक्षा ऑडिट की तत्काल जरूरत है। वास्तव में इन इमारतों की निगरानी किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करायी जानी चाहिए। इसी क्रम में जोखिम की स्थिति वाली इमारतों की पहचान की जानी चाहिए। साथ ही उन बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के लिये वैकल्पिक आवासों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा जरूरी है कि निर्माण संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों,ठेकेदारों और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। इसके अलावा बिल्डिंग बॉयलॉज के व्यापक उल्लंघन से निपटने के लिये सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है।

अनियंत्रित उपभोक्तावाद से उपजा पर्यावरण संकट

> वर्ष 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि कम वस्तुओं के साथ और सोच-समझकर उपभोग करने वाली जीवनशैली का संबंध कम पर्यावरणीय प्रभाव और कम कचरा पैदा करने से है। स्पष्ट है कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना केवल व्यक्तिगत जीवन को सरल बनाने का उपाय नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का एक व्यावहारिक रास्ता भी है।

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर कॉप-31' नामक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच पृथ्वी का औसत सतही तापमान 19वीं सदी के उत्तरार्ध (1850–1900) में दर्ज औसत तापमान की तुलना में लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस रिपोर्ट में तापमान की वृद्धि को समझने के लिए 1850 से 1900 के बीच की अवधि को आधार माना गया है, जिसे जलवायु विज्ञान में पूर्व-औद्योगिक संदर्भ अवधि कहा जाता है। वहीं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर द्वारा जारी 'विदाउट रैपिड एक्शन, द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टू इर्रिकवरेबल ओवरशूट' नामक रिपोर्ट में भी वैश्विक जलवायु प्रयासों की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को रोकने के सामूहिक वैश्विक प्रयास लगातार पांचवें वर्ष लगभग ठहर गए हैं। वर्तमान सरकारी नीतियों के आधार पर इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन का संकट अब भविष्य की कोई आशंका भर नहीं रह गया है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घट रही घटनाएं इस संकट की बढ़ती गंभीरता का संकेत दे रही हैं। जुलाई, 2019 में पश्चिमी यूरोप के कई देशों को अविश्वसनीय रूप से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। बेल्जियम और नीदरलैंड में तापमान पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फ्रांस में जुलाई की भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया और कई लोगों की मौत का कारण बनी। वहीं, अप्रैल और मई, 2024 में दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे दो सुल राज्य में



हुई मूसलाधार बारिश ने विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लिया और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े।इन घटनाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय समूह 'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन' के निष्कर्ष बताते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन ऐसी भीषण गर्मी और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की संभावना तथा तीव्रता को बढ़ा रहा है। मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इस तथ्य को जलवायु वैज्ञानिक अपने विभिन्न अध्ययनों में लगातार रेखांकित कर रहे हैं। आईपीसीसी की 'जलवायु परिवर्तन 2023 रिपोर्ट' में ऊर्जा के बेतहाशा उपयोग, वनों की निरंतर कटाई और औद्योगिक उत्पादन जैसी मानवीय गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों के रूप में रेखांकित किया गया है। जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी केवल सरकारों और नीतिगत व्यवस्थाओं पर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते। दरअसल, हमारी अपनी गतिविधियां और दैनिक जीवन से जुड़े निर्णय भी इस समस्या को बढ़ाने में योगदान देते हैं। इसलिए हमें उन गतिविधियों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा, जिनमें बदलाव करना हमारे अपने हाथ में है।

हमारी इस जिम्मेदारी और व्यक्तिगत भूमिका को समझने के लिए मायरा जे. हर्ड द्वारा संपादित पुस्तक 'कंज्यूमिंग द एनवायरनमेंट' एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दरअसल, हमारी रोजमर्रा की खरीदारी, फैशन के बदलते चलन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग का संबंध केवल बाजार और हमारी जरूरतों से नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ता है। किसी वस्तु का पर्यावरण पर प्रभाव केवल उसके उपयोग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों के दोहन से शुरू होकर उसके उपयोग के बाद फेंक दिए जाने तक बना रहता है। पर्यावरणीय संकट पर विचार करते समय यह देखना भी जरूरी है कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं और उन वस्तुओं का उपयोग कितने समय तक कर रहे हैं।

मायरा ने उपभोक्तावाद और पर्यावरण के बीच जिस संबंध की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अक्तूबर, 2025 की रिपोर्ट 'ट्रांसफॉर्मिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री : एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन रिसोर्स यूज' से भी होती है। रिपोर्ट के अनुसार, कपड़ा उद्योग में हर वर्ष प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग लगभग 8.6 करोड़ ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूलों में समा सकने वाले पानी के बराबर है। यह उद्योग दुनिया में धरती का तापमान बढ़ाने वाली गैसों के कुल उत्सर्जन में लगभग 8 प्रतिशत योगदान देता है। कपड़ों की बढ़ती मांग और उनके उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर इस दबाव को और बढ़ा रही है।

उपभोक्तावाद का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव केवल कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली छोटी-बड़ी वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्नीचर तक, प्रत्येक वस्तु के निर्माण और उपयोग के पीछे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की एक लंबी प्रक्रिया जुड़ी हुई है। एनी लियोनार्ड ने अपनी पुस्तक 'द स्टोरी ऑफ स्टफ' में हमारी रोजमर्रा की वस्तुओं और पर्यावरण के बीच इसी गहरे संबंध को स्पष्ट किया है। वे लिखती हैं कि हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनकी यात्रा धरती से प्राकृतिक संसाधनों को निकालने से शुरू होती है। इसके बाद उनका निर्माण होता है, उन्हें बाजार तक पहुंचाया जाता है, हम उन्हें खरीदते और इस्तेमाल करते हैं और अंततः वे फेंक दी जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगातार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है और पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। एनी चेतावनी देती हैं कि वस्तुओं को जल्दी-जल्दी बदलने और नई वस्तुएं खरीदते रहने की प्रवृत्ति केवल हमारी खरीदारी की आदत नहीं, बल्कि ऐसी उपभोग संस्कृति को बढ़ावा देती है, जो प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव को लगातार गहरा करती है। तो क्या विकास और बेहतर जीवन की हमारी आकांक्षा का अर्थ लगातार अधिक वस्तुएं जुटाते जाना ही है? क्या प्रकृति के संरक्षण के लिए हम अपनी आवश्यकताओं और उपभोग की आदतों पर पुनर्विचार नहीं कर सकते? वास्तव में, प्रकृति को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास यह भी है कि हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखें। उपभोक्तावादी संस्कृति की अंधी दौड़ पर लगाम लगाना और अनावश्यक उपभोग से स्वयं को दूर रखना पर्यावरणीय संकट को कम करने की दिशा में एक सार्थक कदम हो सकता है। दुनिया के कुछ समाजों में विकसित न्यूनतम वस्तुओं के साथ जीवन जीने की जीवनशैली इसी विचार को व्यवहार में उतारने का मार्ग दिखाती है।

जापान की न्यूनतमवाद की जीवनशैली इस विचार को व्यवहार में उतारने का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। जापानी लेखक फुमियो सासाकी ने अपनी पुस्तक 'गुडबाय, थिंग्स : द न्यू जापानी मिनिमलिज्म' में कम वस्तुओं के साथ संतोषपूर्ण जीवन जीने की सोच को सामने रखा है। इस जीवनशैली का आग्रह है कि हम केवल आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं खरीदें, उनका लंबे समय तक उपयोग करें और केवल नया होने या बाजार में प्रचलित होने के कारण पुरानी वस्तुओं को न बदलें। यह सोच पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आयरलैंड में शुरू हुआ 'लेस बाइंग, मोर बीइंग' का संदेश आज पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन-दृष्टि बन सकता है।

सरोकार

मन की महानता का परिचय है क्षमा और आत्मसंयम

मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा या धन-संपत्ति से नहीं होती, बल्कि उसके विचारों, व्यवहार और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों से होती है। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है अथवा हमारे विश्वास को तोड़ देता है। ऐसी स्थिति में क्रोध आना स्वाभाविक है। मन बदला लेने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति सामने वाले को उसी पीड़ा का अनुभव कराना चाहता है, जिससे वह स्वयं गुजरा होता है। लेकिन क्या किसी को पराजित कर देना ही सबसे बड़ी जीत है? भारतीय चिंतन इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताता है कि सबसे बड़ी विजय स्वयं के मन पर अधिकार प्राप्त करना है। इसी साधना का नाम क्षमा है। आयुर्वेद में मनुष्य के स्वास्थ्य को केवल शारीरिक स्थिति तक सीमित नहीं माना गया है। शरीर, मन और आचरण के बीच संतुलन को स्वस्थ जीवन का आधार समझा गया है। चरक संहिता में वर्णित आदर्श मानवीय गुणों में क्षमा का विशेष महत्व है। क्षमा मनुष्य को सहनशील, धैर्यवान और विवेकशील बनाती है। यह उसके व्यवहार में ऐसी परिपक्वता लाती है, जिससे वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने विवेक को खोने नहीं देता। क्षमा का भाव व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उसके व्यक्तित्व में सहजता और उदारता का विकास करता है।

आयुर्वेद की एक कक्षा में विद्यार्थी ने शिक्षक से जिज्ञासा प्रकट की कि चरक संहिता में क्षमावान बनने की प्रेरणा दी गई है। वहीं कफ प्रकृति के गुणों में भी क्षमा को स्थान प्राप्त है। कफ प्रकृति को श्रेष्ठ प्रकृतियों में गिना जाता है। आखिर इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध है? शिक्षक ने उत्तर दिया कि क्षमा का अर्थ किसी के अपराध को स्वीकार कर लेना, अन्याय को सहते रहना अथवा अपनी गरिमा से समझौता करना नहीं है। क्षमा का वास्तविक आशय है कि व्यक्ति गलत कार्य का विरोध पूरी दृढ़ता से करे, लेकिन उसके भीतर बदले की भावना और नफरत का विष न पनपने दे। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है, परंतु उस संघर्ष को अपने मन की स्थायी अशांति नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने समझाया कि क्षमा की वास्तविक परीक्षा तब होती है, जब मनुष्य के पास प्रतिकार करने की पूरी क्षमता हो। यदि कोई व्यक्ति इसलिए चुप है कि वह सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसकी चुप्पी को हमेशा क्षमा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसके पास अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करके बदला लेने का अवसर हो, फिर भी वह विवेक और उदारता से क्षमा का रास्ता चुनता है, वह अपने भीतर की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करता है। उसकी महानता इस बात में नहीं होती कि वह कितने लोगों को पराजित कर सकता है, बल्कि इस बात में होती है कि वह कितनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को संतुलित रख सकता है। कफ प्रकृति के गुण इस विचार को और गहराई प्रदान करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कफ का संतुलित स्वरूप स्थिरता, शीतलता, धैर्य, सहनशीलता और पोषण से जुड़ा हुआ है। इन गुणों के कारण कफ प्रकृति को स्थिर एवं शांत स्वभाव का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार स्थिर जल में अनावश्यक हलचल नहीं होती, उसी प्रकार संतुलित मन छोटी-छोटी बातों से विचलित नहीं होता। क्षमा के लिए भी ऐसी ही मानसिक स्थिरता आवश्यक है। व्यक्ति तभी क्षमा कर पाता है, जब वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए परिस्थिति को व्यापक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। हालांकि क्षमा किसी एक प्रकृति तक सीमित नहीं है। यह ऐसा गुण है, जिसे प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों और व्यवहार में विकसित कर सकता है। मानव जीवन में क्रोध एक ऐसी भावना है, जो क्षणभर में विवेक को प्रभावित कर सकती है। क्रोध के आवेश में कही गई बात कई वर्षों के संबंध को समाप्त कर सकती है। प्रतिशोध की भावना व्यक्ति को बार-बार उसी घटना और उसी पीड़ा की याद दिलाती रहती है। वह मन ही मन संवाद करता है, जवाब तैयार करता है और सामने वाले को नीचा दिखाने की कल्पना करता रहता है। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक नुकसान उसी व्यक्ति का होता है, जिसके मन में द्वेष पल रहा होता है। क्षमा इस मानसिक बोझ से मुक्ति का मार्ग खोलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपनी स्मृतियों को मिटा दे या किसी के गलत व्यवहार को दोबारा स्वीकार कर ले। इसका अर्थ है कि वह अपने जीवन की दिशा किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से निर्धारित न होने दे।

क्षमा का संबंध केवल दूसरों के प्रति उदारता से ही नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भी है। कई बार मनुष्य अपनी पुरानी गलतियों को लेकर इतना परेशान रहता है कि वर्तमान में उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। वह स्वयं को बार-बार दोषी ठहराता है। जबकि वास्तविक सुधार तभी संभव है, जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करे, उसके परिणामों की जिम्मेदारी ले और भविष्य में उसे न दोहराने का संकल्प करे। स्वयं को सुधारने का अवसर देना भी आत्मक्षमा का महत्वपूर्ण स्वरूप है।

सामाजिक जीवन में भी क्षमा का बड़ा महत्व है। परिवार, मित्रता और कार्यक्षेत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को अहंकार का विषय बना ले, तो रिश्तों में कटुता बढ़ती चली जाती है। क्षमा मनुष्य को यह समझने की दृष्टि देती है कि संबंधों की गरिमा व्यक्तिगत अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि जहां लगातार अपमान, हिंसा या शोषण हो, वहां स्वयं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उचित कदम उठाना भी जरूरी है। क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। वास्तव में क्षमा मनुष्य के चरित्र की वह ऊंचाई है, जहां शक्ति के साथ संवेदनशीलता और अधिकार के साथ विवेक भी जुड़ जाता है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और संगठन बल के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने में जुट गई है। भाजपा ने युवा, महिला, किसान व गरीब समाज को साधने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजनाओं की बहार ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा "तब और अब" के अंतर को बताते हुए जनता के मध्य उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी अब हर उत्सव के दौरान जनमानस को यह बता रहे हैं कि "उपद्रव से उत्साह की यात्रा नए उप्र की पहचान बन चुकी है।" प्रदेश सरकार वर्तमान समय में जहां अपने संकल्प पत्र को पूर्णता प्रदान करने की ओर अग्रसर है वहीं नये लक्ष्यों का भी संकल्प लिया जा रही है। योगी आदित्यनाथ हिन्दू समाज को एकजुटता प्रदान करने का कोई अवसर नहीं चूक रहे हैं।जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल से युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर और हरदोई के 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों के 50 हजार से अधिक युवाओं को टैबलेट दिया। मुख्यमंत्री योगी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची मे दर्ज करवाने की अपील करते हुए उनसे बजरंग बली की तरह अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान भी किया।

साथ ही मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार में 2019 से अभी तक युवाओं के लिए हुए कार्यों की जानकारी देते हुए अगली सरकार में युवाओं के लिए किए जा रहे संकल्पों की झलक भी दिखाई। योगी ने युवाओं से वादा किया कि आगामी 26 जनवरी तक युवाओं को एक लाख नौकरियां और दी जाएंगी। पहले चरण में अभी तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। इनमें इन्फोसिस के सहयोग से अनेक पाठयक्रमों की डिजिटल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई है। इनमें योग से लेकर एआई और डीपटेक जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। युवा साथी ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम और सीएम इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और पीएम मुद्रा सहित केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती अवसर पर यह योजना प्रारंभ की गई थी और दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण देने का संकल्प लिया गया था। आईआईएम लखनऊ से कराए गए अध्ययन में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जा रहे हैं।

इस समय उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा प्रदेश है, जहां 56 से 60 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग की है। देश की राजधानी दिल्ली में नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश भारत सरकार ने झेला था तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद त्याग भी करना पड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल-कालेजों की बदहाली के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी युवाओं को भड़काने का असफल प्रयास किया किंतु प्रदेश सरकार की सतर्कता के कारण अराजक तत्व प्रदेश के युवाओ को भड़काने में नाकाम रहे। प्रदेश सरकार युवाओं को यह भी बता रही है कि 2017 से पूर्व प्रदेश में युवाओं के समक्ष पहचान का संकट था जबकि आज वे गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी यह बात भी अवश्य बताते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अब तक प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आठ हजार लेखपालों और 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है।सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।अगले दस दिनों में 42 हजार होमगार्डों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग, लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। अभी तक शिक्षा विभाग के 3,568 पंचायती राज विभाग के 1,375 खेल कोटे के 470 फ़ोरेंसिक विभाग के 28, पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों और राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के युवाओं को केवल सरकारी नौकरी ही नहीं दी जा रही है अपितु विभिन्न माध्यमों से अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे किंतु आज 25 हजार से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बदलते यूपी मे आज ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अमेठी में ए के -203 राइफल का निर्माण हो रहा है। देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल फोन और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट का निर्माण यूपी में हो रहा है।

नजरिया

तुलसी विवाह : सनातन परंपरा में कन्यादान के महापुण्य का प्रतीक

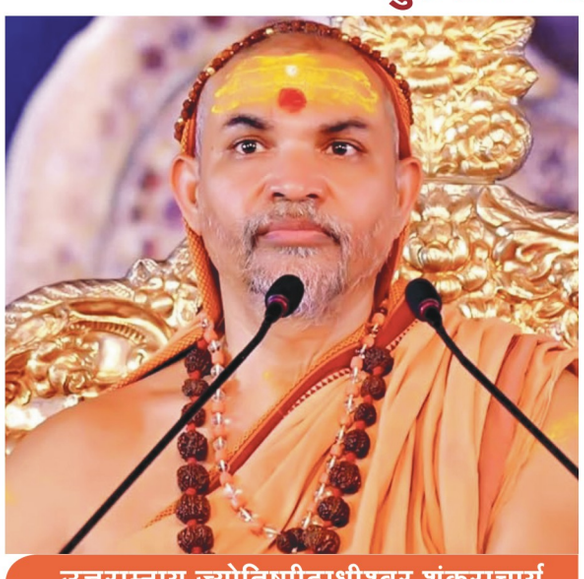

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहार केवल उत्सव मनाने के अवसर नहीं होते, बल्कि इनके माध्यम से जीवन के संस्कारों, धार्मिक मान्यताओं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता है। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला तुलसी विवाह ऐसा ही एक पवित्र पर्व है, जो भगवान श्रीहरि विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा, विधि-विधान और भक्तिभाव से तुलसी विवाह संपन्न कराता है, उसे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस पर्व को विशेष रूप से मांगलिक कार्यों की शुरुआत और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

कार्तिक का महीना भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, दान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीरसागर में योगनिद्रा में जाने वाले भगवान विष्णु इसी दिन जागृत होते हैं। उनके जागने के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम रहता है। देवोत्थान एकादशी के बाद शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इसी क्रम में अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व शनिवार, 21 नवंबर को मनाया जाएगा।

तुलसी विवाह के दिन घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। आंगन में स्थापित तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उसे लाल चुनरी, वस्त्र, आभूषण और पुष्पमालाएं पहनाई जाती हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम को वर के रूप में सजाकर विवाह मंडप में स्थापित किया जाता है। कई स्थानों पर गन्ने से मंडप बनाकर उसके नीचे विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। पूजा स्थल पर रंगोली बनाई जाती है और दीपक जलाकर वातावरण को भक्तिमय बनाया जाता है। इसके बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराया जाता है। महिलाएं मंगलगीत गाती हैं और परिवार के सदस्य भगवान विष्णु तथा माता तुलसी से सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं। विवाह के उपरांत आरती, प्रसाद वितरण और कई स्थानों पर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है।

इस पर्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष कन्यादान से जुड़ी धार्मिक मान्यता है। हिंदू धर्म में कन्यादान को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी संस्कार माना गया है। तुलसी विवाह में माता तुलसी को कन्या के स्वरूप में प्रतिष्ठित कर भगवान शालिग्राम के साथ उनका विवाह कराया जाता है। इस दौरान परिवार के सदस्य कन्यादान की परंपरा के अनुरूप विवाह की रस्में पूरी करते हैं। मान्यता है कि इस आयोजन से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से वे परिवार, जिनके यहां कन्या का विवाह करने का अवसर नहीं मिला है, तुलसी विवाह को श्रद्धापूर्वक संपन्न कर धार्मिक संतोष और पुण्य की अनुभूति करते हैं।

तुलसी विवाह में विवाहित महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखी जाती है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, दांपत्य जीवन की खुशहाली और परिवार की उन्नति के लिए माता तुलसी की पूजा करती हैं। अविवाहित युवतियां भी अच्छे जीवनसाथी और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से इस आयोजन में शामिल होती हैं। धार्मिक विश्वास है कि तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख-शांति, समृद्धि और पारिवारिक एकता बनी रहती है। कुछ क्षेत्रों में तुलसी विवाह का आयोजन एक दिन के बजाय पांच दिनों तक चलता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णाहुति होती है। सनातन धर्म में तुलसी को सामान्य वनस्पति के रूप में नहीं, बल्कि देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसी कारण तुलसी को वैष्णवी, विष्णुप्रिया और हरिप्रिया जैसे नामों से जाना जाता है।

मालिक जयेश जगशी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई), सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

सूखे की मार झेल रहे किसानों से कर्ज वसूली पर भड़कीं सुप्रिया सुले

308 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित करने के बावजूद वसूली जारी रहने का आरोप, प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजे की मांग; डेढ़ करोड़ किसानों को घोषित राहत जल्द देने की अपील

मुंबई। महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति और किसानों की लगातार बिगड़ती आर्थिक हालत के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार किसानों को सूखा राहत देने और उनकी मदद करने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में किसानों से कर्ज की वसूली जारी है। सुले ने कहा कि सूखे की मार झेल रहे किसानों के सामने पहले से ही फसल बर्बादी, पशुओं के चारे और पीने के पानी का संकट है। ऐसे मुश्किल समय में उनसे कर्ज की वसूली करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि किसानों से वसूली किए जाने से जुड़े वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि सूखा प्रभावित किसानों से फिलहाल कर्ज की वसूली नहीं की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल वसूली रोकने और प्रभावित किसानों को घोषित राहत का लाभ जल्द उपलब्ध कराने की मांग की।

सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में सूखे की स्थिति बनी हुई है और इसका सबसे अधिक असर खेती पर निर्भर परिवारों पर पड़ रहा है। किसानों ने खरीफ सीजन में फसल उत्पादन की उम्मीद के साथ खेती में पूंजी लगाई थी, लेकिन मानसून की कमी और बारिश की अनियमितता ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। कई क्षेत्रों में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ा है। ऐसे में किसानों के सामने खेती की लागत निकालने, परिवार का खर्च चलाने और बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का कर्ज चुकाने की चुनौती खड़ी हो गई है। सुले का कहना है कि सरकार को किसानों की मौजूदा स्थिति को समझते हुए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। जब किसान प्राकृतिक आपदा के कारण आर्थिक संकट में हैं, तब उनसे कर्ज वसूली का दबाव बढ़ाने के बजाय उन्हें



राहत देने की जरूरत है।

उन्होंने सूखा प्रभावित किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजा देने की मांग दोहराई। सुले के अनुसार, सूखे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए घोषित सामान्य सहायता पर्याप्त नहीं होगी। किसानों को खेती में हुए नुकसान, आगामी फसल की तैयारी और परिवार की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ठोस आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को अब तक सरकारी सहायता नहीं मिली है, उनकी पहचान कर उनकी सूची तैयार की जाएगी और संबंधित कलेक्टर कार्यालय को सौंपी जाएगी। इसके लिए पार्टी स्तर पर भी जानकारी एकत्र की जा रही है, ताकि पात्र किसानों के मामले प्रशासन के सामने रखे जा सकें।

सुले ने आम लोगों और किसानों से भी अपील की कि यदि उनके आसपास ऐसे किसान हैं, जिन्हें अब तक सरकारी राहत राशि नहीं मिली है, तो उनके नाम और संबंधित जानकारी पार्टी तक पहुंचाएं। उनका कहना है कि कई बार सरकारी योजनाओं की घोषणा तो हो जाती है, लेकिन वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचने में देरी होती है। ऐसे में प्रभावित किसानों की जानकारी एकत्र करना और प्रशासन के समक्ष उनके मामले उठाना जरूरी है। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि राहत वितरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि किसी पात्र किसान को तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से सहायता से वंचित न रहना पड़े।

महाराष्ट्र में सूखे की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की कुल 358 तहसीलों में से 308 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। यानी राज्य के बड़े हिस्से में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दिखाई दे रहा है। मानसूनी बारिश की कमी को खरीफ फसलों के नुकसान का प्रमुख कारण बताया गया है। विशेष रूप से मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाकों में बारिश की कमी के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इन क्षेत्रों में खेती के साथ-साथ पशुपालन भी ग्रामीण परिवारों की आय का महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन सूखे के कारण पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता और पीने के पानी का संकट भी गहराने लगा है।

फसल खराब होने के बाद किसानों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक ओर खेतों से अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाया, वहीं दूसरी ओर पशुओं के पालन और परिवार की दैनिक जरूरतों पर खर्च जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी का असर केवल खेती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पशुओं और आम जनजीवन पर भी पड़ता है। चारे की कमी होने से पशुपालकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। वहीं पीने के पानी की समस्या के कारण कई गांवों में लोगों को दूर से पानी लाने की मजबूरी हो सकती है। ऐसे हालात में किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता के साथ जल और चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी जरूरी हो जाती है।

सुप्रिया सुले ने किसानों की आत्महत्या के मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कर्ज का बढ़ता बोझ और आर्थिक असुरक्षा किसानों को गंभीर मानसिक और पारिवारिक संकट में डाल रही है। खेती में लगातार नुकसान होने पर किसानों के पास कर्ज चुकाने के पर्याप्त साधन नहीं बचते। इसके बावजूद जब वसूली का दबाव बना रहता है, तो उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्ज वसूली पर तत्काल रोक लगाने के साथ उन्हें राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं, इसलिए संकट के समय उनकी मदद करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 27 अक्टूबर को करीब डेढ़ करोड़ किसानों को पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम सूखा राहत देने की घोषणा की थी। इस सहायता योजना के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बैंक राहत राशि में से किसी तरह की कटौती न करें और किसानों को पूरी रकम उपलब्ध कराई जाए। सरकार की ओर से की गई इस घोषणा को सूखा प्रभावित किसानों के लिए शुरुआती राहत के रूप में देखा गया था। हालांकि, सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने किसानों को राहत देने का भरोसा दिया है, तो फिर वसूली की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं करने से किसानों की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि राहत राशि समय पर उनके बैंक खातों तक पहुंचे और कर्ज वसूली के दबाव से भी उन्हें वास्तविक राहत मिले।

सुले ने जल संरक्षण के लिए कैबिनेट की ओर से 400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दिए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य को मिलने वाली हर आर्थिक सहायता और जल संरक्षण के लिए उठाया जाने वाला हर कदम स्वागत योग्य है।

ज्योतिर्मठ में आदि शंकराचार्य भगवान की पावन डोली का भव्य स्वागत

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विष्णु सहस्त्रनाम से की भगवान नृसिंह की पूजा, छह माह तक ज्योतिर्मठ में होगी बदरीविशाल की शीतकालीन पूजा

आर एस नेटवर्क डॉ. उदय शंकर भगत

ज्योतिर्मठ। श्री बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की पावन गद्दी, डोली एवं गरुड़ महाराज की प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर परिसर पहुंची। नगर आगमन पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और मंगल ध्वनि के साथ भव्य स्वागत किया।



इस अवसर पर ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने विधि-विधान से भगवान नृसिंह की पूजा-अर्चना की। ज्योतिर्मठ की मातृशक्ति द्वारा तैयार एक हजार रोट भगवान के श्रीचरणों में विष्णु सहस्त्रनाम के पावन नामों के साथ समर्पित की गईं। इसके बाद शंकराचार्य जी ने मंदिर परिसर में विराजमान गरुड़, गणेश, सूर्यदेव, माता महाकाली, भगवान शिव, भैरव, मां नवदुर्गा सहित विभिन्न देवी-देवताओं के दर्शन एवं पूजन किए।

उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की पावन गद्दी का पूजन कर अद्वैत दर्शन के सिद्धांत 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' का स्मरण करते हुए स्तुति गान किया। इसके पश्चात भगवान बदरीविशाल के शीतकालीन पूजा स्थल पर सामूहिक आरती हुई। शंकराचार्य महाराज ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों सहित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया।

इस दौरान मंदिर समिति के प्रभारी राजेंद्र सेमवाल, आचार्य कुशलानंद बहुगुणा, आचार्य सुशील डिमरी, रामप्रसाद थपलियाल, नरसिंह मंदिर महिला मंगल दल की सदस्याओं सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस पूजा के साथ ही आगामी छह माह तक भगवान बदरीविशाल की नियमित शीतकालीन पूजा-अर्चना ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर परिसर में संपन्न होगी।

डॉ. संतोष कुमार सिंह के गीतों में मानवीय संवेदना की अतुलनीय गहराई

वाराणसी। स्वास्तिक सिटी सेंटर स्थित सगुन बैंक्वेट के सभागार में विश्व वैदिक सनातन न्यास एवं कविताम्बरा के संयुक्त तत्वावधान में डॉ. संतोष कुमार सिंह के गीतों पर परिचर्चा एवं वृहद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्यकारों एवं कवियों ने उनके गीतों में निहित मानवीय संवेदना, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं पर विचार व्यक्त किए।



मुख्य अतिथि प्रो. विभा शंकर, हिंदी विभागाध्यक्ष, एनपीयू, पलामू (झारखंड) ने कहा कि डॉ. संतोष सिंह के गीत मनुष्यता के संक्रमण काल में मानवीय चेतना और मूल्यों की बात करते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. आशा यादव, प्राचार्या वसंत कन्या महाविद्यालय ने कहा कि उनकी कविताओं में गहरा सांस्कृतिक बोध और बनारस की समृद्ध ज्ञान परंपरा का दर्शन होता है।

वरिष्ठ साहित्यकार मधुकर मिश्र ने कहा कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं, बल्कि संस्कृति का मेरुदंड है। डॉ. संतोष सिंह के गीतों में मानवीय संवेदनाओं की गहराई और सनातन परंपराओं के प्रति आस्था स्पष्ट दिखाई देती है। डॉ. राम सुधार सिंह, डॉ. चंद्रभाल सुकुमार और डॉ. आर्य पुत्र दीपक ने भी उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति, भक्ति, अध्यात्म, प्रेम और मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति को रेखांकित किया।

इस अवसर पर डॉ. अशोक सिंह, डॉ. वेद प्रकाश पांडेय, डॉ. शंभुनाथ शास्त्री, कंचन सिंह परिहार, डॉ. सुमन राव और आलोक सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने विचार रखे। स्वागत वक्तव्य डॉ. संतोष कुमार सिंह ने दिया। संचालन गिरीश पांडेय काशिकेय तथा धन्यवाद ज्ञापन सिद्धनाथ सिंह ने किया।

कवि सम्मेलन में अरविंद मिश्र हर्ष, महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार, डॉ. जयप्रकाश मिश्र, डॉ. नसीमा निशा, विजय चंद्र त्रिपाठी, दिनेश दत्त पाठक, जयप्रकाश धानापुरी, टीकाराम आचार्य और हंसराज सिंह सहित सौ से अधिक कवियों की उपस्थिति रही।

नव मतदाता जागरूकता अभियान में छात्राओं को मतदान के लिए किया प्रेरित

कुलजीत सिंह चहल ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का किया आह्वान, छात्राओं का कराया गया पंजीकरण

आर एस नेटवर्क। संवाददाता

वाराणसी। आर्य महिला पीजी कॉलेज परिसर में आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के चार शिक्षण संस्थानों की ओर से नव मतदाता जागरूकता अभियान-2027 का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता नई दिल्ली नगर निगम के उपाध्यक्ष एवं नमो ऐप के राष्ट्रीय संयोजक कुलजीत सिंह चहल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने छात्राओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और विकसित भारत-2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।



भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए छात्राओं से देश में हुए बदलावों का अध्ययन करने का आह्वान किया। वहीं महानगर महामंत्री पूजा दीक्षित ने पहली बार मतदान करने वाली छात्राओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक किया।

कार्यक्रम में भाजपा महानगर उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रचना दुबे, आर्य महिला इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. प्रतिभा यादव और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्या अंजना दीक्षित उपस्थित रहीं। संयोजन पूजा दीक्षित ने किया तथा संचालन सपना सिंह ने किया। अंत में छात्राओं का नव मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया गया।

भिवंडी में सेंधमारी: चोरों ने 33 लाख रुपये के माल पर किया हाथ साफ

आर एस नेटवर्क। संवाददाता

भिवंडी: देवदर्शन के लिए अपना बंगला बंद कर पांच दिनों के लिए शहर से बाहर गए एक परिवार के घर अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की। चोर घर से सोने-चांदी के गहने और नकदी समेत कुल 33 लाख 20 हजार 500 रुपये का माल चुरा ले गए।



शहर के मानसरोवर स्थित रॉयल विलाज बंगलो सोसाइटी के बंगला नंबर 2-सी में रहने वाले अजय मोहन मच्छा अपने परिवार के साथ 12 से 17 नवंबर के बीच पंढरपुर और तुलजापुर में देवदर्शन के लिए गए थे। 17 नवंबर की देर रात जब पूरा परिवार घर लौटा, तो उन्हें घर का सामान बिखरा हुआ दिखा। जब उन्होंने अलमारी का लॉकर जांचा, तो पाया कि उसमें रखे 627.78 ग्राम सोने के गहने, 800 ग्राम चांदी के गहने और 2 लाख रुपये नकद—कुल 33 लाख 20 हजार 500 रुपये का सामान चोरी हो गया है।

चोर बंगले के पिछले हिस्से में स्थित बाथरूम की ग्रिल उखाड़कर घर में घुसे थे। इस मामले में शहर पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त डॉ. पवन बनसोड, सहायक पुलिस आयुक्त मिलिंद शिंदे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। भीड़भाड़ वाले मानसरोवर जैसे रिहायशी इलाके में चोरी की इस वारदात से नागरिकों में डर का माहौल है।

भिवंडी में दिघाशी के अति-उच्च दाब (हाई-टेंशन) टॉवर लाइन से प्रभावित किसानों को दिसंबर में मुआवजा देने का आश्वासन

भिवंडी: भिवंडी तालुका के दिघाशी गांव से गुजरने वाली महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी की अति-उच्च दाब विद्युत लाइन परियोजना से प्रभावित किसानों के संघर्ष को आखिरकार सफलता मिलने के संकेत हैं। पिछले दो से तीन वर्षों से मुआवजे के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहे किसानों की मदद के लिए अब शिवसेना नेता प्रकाश पाटील आगे आए हैं। प्रकाश पाटील ने प्रभावित किसानों के साथ भिवंडी के उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) अमित सानप से मुलाकात कर इस समस्या को तत्काल सुलझाने की मांग की। इसके बाद प्रशासन की ओर से आगामी दिसंबर महीने में सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। भिवंडी तालुका के दिघाशी गांव से गुजरने वाली महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी की अति- उच्च दाब विद्युत लाइन परियोजना के कारण कई



किसानों की खेती की जमीन, फलदार पेड़ों और अन्य पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन पिछले तीन वर्षों से मुआवजा न मिलने के कारण किसान लगातार प्रशासन के पास गुहार लगा रहे थे।

शिवसेना नेता प्रकाश पाटील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने के कारण उन्होंने स्वयं इस मामले में पहल की और प्रभावित किसानों के साथ उप-विभागीय अधिकारी से मुलाकात कर मुआवजे के मुद्दे को तत्काल निपटाने की मांग की। इस बैठक में दिसंबर महीने में सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। इससे कई वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

स्टेरॉयड गोलियों का सेवन हो सकता है खतरनाक, सीओपीडी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें : डॉ. एस.के. पाठक

वाराणसी। ब्रेथ ईजी हॉस्पिटल, अस्सी की ओर से अस्पताल परिसर में सांस की गंभीर बीमारियों, सीओपीडी, अस्थमा और आधुनिक उपचार पद्धतियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. एस.के. पाठक तथा एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. स्वप्निल पाठक ने श्वसन रोगों के बढ़ते खतरे और बचाव के उपायों की जानकारी दी।



डॉ. एस.के. पाठक ने कहा कि सर्दियों और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दमा और सीओपीडी के मरीजों के लिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के स्टेरॉयड गोलियों का सेवन खतरनाक हो सकता है। उन्होंने नियमित प्रिवेंटर इनहेलर के इस्तेमाल और समय पर उपचार कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि धूम्रपान, वायु प्रदूषण और धूल श्वसन रोगों के प्रमुख जोखिम कारक हैं।

डॉ. स्वप्निल पाठक ने कहा कि सीओपीडी का सही प्रबंधन मरीजों को बेहतर जीवन दे सकता है। उपचार में सही इनहेलर का चुनाव और उसका उचित इस्तेमाल बेहद जरूरी है। लगातार खांसी, बलगम, बुखार, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तथा समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

डॉ. साक्षी पाठक ने भी धूम्रपान, प्रदूषण और धूल से होने वाले श्वसन रोगों के प्रति लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी।

इस अवसर पर अस्पताल की निदेशिका डॉ. सुनीता पाठक और डॉ. स्वप्निल पाठक ने तीन दिवसीय निःशुल्क फेफड़ा जांच अभियान के लिए मोबाइल चेकअप वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन वाराणसी के प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर लोगों के फेफड़ों की क्षमता की जांच करेगी। इसके अलावा आकाशवाणी पर रेडियो टॉक और जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए सीओपीडी जागरूकता संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी।

विलेपार्ले में 650 मीटर फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त, आठ अवैध निर्माण ध्वस्त

मुंबई। मुंबई में पैदल यात्रियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ओर से चलाए जा रहे 'पादचारी प्रथम' अभियान के तहत विलेपार्ले पूर्व में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। बुधवार, 18 नवंबर को महानगरपालिका की टीम ने महात्मा गांधी मार्ग पर अभियान चलाकर करीब 650 मीटर लंबे फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा बन रहे आठ अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जबकि फुटपाथ पर मौजूद छह लाइसेंसधारी स्टॉल भी हटा दिए गए। बीएमसी की इस कार्रवाई से अब इस मार्ग पर पैदल चलने वालों को पहले की तुलना में अधिक जगह और सुविधा मिलने की उम्मीद है।



विलेपार्ले पूर्व का महात्मा गांधी मार्ग स्थानीय आवागमन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मार्ग विलेपार्ले पूर्व को पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है। इसके आसपास स्कूल, जैन मंदिर, बिजनेस पार्क, सिनेमाघर और बीएमसी उद्यान जैसे कई प्रमुख स्थल स्थित हैं। इन स्थानों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिकों का आना-जाना लगा रहता है। विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्थानीय निवासियों, कामकाजी लोगों और अन्य आगंतुकों के कारण इस मार्ग पर दिनभर पैदल यात्रियों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे व्यस्त मार्ग पर फुटपाथ का अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित होना जरूरी है, ताकि लोगों को सड़क पर उतरकर चलने की मजबूरी न हो।

महानगरपालिका के अनुसार, फुटपाथ पर अनधिकृत निर्माण और स्टॉल होने के कारण पैदल यात्रियों के लिए उपलब्ध जगह सीमित हो गई थी। कई स्थानों पर लोगों को बाधाओं के बीच से गुजरना पड़ता था। इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विद्यार्थियों को परेशानी होती थी। फुटपाथ पर जगह नहीं मिलने के कारण पैदल यात्रियों को सड़क के किनारे या वाहनों की आवाजाही वाले हिस्से से गुजरना पड़ सकता था, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने इस मार्ग को अतिक्रमण हटाने के लिए प्राथमिकता दी।

बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे के मार्गदर्शन में संचालित 'पादचारी प्रथम' अभियान के तहत 'के दक्षिण' विभाग के महात्मा गांधी मार्ग को अधिक पैदल आवाजाही वाले पांच प्रमुख मार्गों की प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। अभियान का उद्देश्य शहर के व्यस्त इलाकों में फुटपाथों को बाधामुक्त करना और पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना है। इसके तहत उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां अतिक्रमण के कारण फुटपाथ का उपयोग करना मुश्किल हो गया है। विलेपार्ले पूर्व में की गई कार्रवाई भी इसी योजना का हिस्सा रही। महानगरपालिका के सहायक अभियंता विभाग ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद निष्कासन अभियान चलाया।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail com

04 मुंबई, गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 महाराष्ट्र

epaper.rashtriyaswabhimaan.in
www.rashtriyaswabhimaan.com

55.85 करोड़ की जमीन महज एक रुपये सालाना लीज पर देने का प्रस्ताव

वर्ली के खन्ना कंस्ट्रक्शन हाउस पुनर्विकास पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, अशरफ आज़मी ने खुली निविदा और वित्तीय पारदर्शिता की मांग की

मुंबई। वर्ली स्थित खन्ना कंस्ट्रक्शन हाउस की पुनर्विकास परियोजना को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की प्रस्तावित व्यवस्था विवादों में आ गई है। कांग्रेस ने इस परियोजना में महानगरपालिका की बेशकीमती जमीन को बेहद मामूली दर पर लीज पर देने के प्रस्ताव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के समूह नेता अशरफ आज़मी ने इस मामले में महानगरपालिका प्रशासन से जवाबदेही तय करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि करीब 55.85 करोड़ रुपये अनुमानित बाजार मूल्य वाली जमीन के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर सालाना की दर से लीज किराया प्रस्तावित करना वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं दिखाई देता। उन्होंने सवाल उठाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े इतने बड़े फैसले में निजी डेवलपर को इतनी रियायती शर्तों पर जमीन देने का आधार क्या है और इससे महानगरपालिका को वास्तविक आर्थिक लाभ कितना होगा।

आज़मी ने मांग की है कि मौजूदा प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले उसका स्वतंत्र वित्तीय मूल्यांकन कराया जाए और निजी डेवलपर के चयन के लिए खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाई जाए। उनका तर्क है कि महानगरपालिका की जमीन जनता की संपत्ति है और उसके पुनर्विकास से जुड़े किसी भी निर्णय में सार्वजनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। केवल पुनर्विकास के नाम पर जमीन का इस्तेमाल निजी डेवलपर के पक्ष में करने के बजाय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीएमसी को भी परियोजना से उचित आर्थिक और संपत्तिगत लाभ मिले।

इस विवाद की पृष्ठभूमि में खन्ना



कंस्ट्रक्शन हाउस का लंबा कानूनी और प्रशासनिक इतिहास भी महत्वपूर्ण है। आज़मी के अनुसार, वर्ली स्थित 3,108.72 वर्ग मीटर का यह भूखंड महानगरपालिका ने वर्ष 1961 में 999 साल की लीज पर दिया था। हालांकि, लीज की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों के बाद बीएमसी ने जुलाई 2025 में इस जमीन का कब्जा वापस ले लिया। इससे पहले सितंबर 2022 में मूल इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। जमीन और लीज से जुड़े विवाद को लेकर कानूनी प्रक्रिया भी चली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 मई 2026 को लीज समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद महानगरपालिका के पास जमीन का कब्जा वापस आने के साथ उसके भविष्य के उपयोग और पुनर्विकास का रास्ता खुला।

अब इसी जमीन के पुनर्विकास को लेकर प्रस्तावित व्यवस्था पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। आज़मी ने वर्ष 2026-27 की प्रारंभिक रेडी रेकनर दर को आधार बनाते हुए जमीन का अनुमानित मूल्य करीब 55.85 करोड़ रुपये बताया है। उनके मुताबिक, इस मूल्यांकन में प्रति वर्ग मीटर 1,79,670 रुपये की दर को आधार बनाया गया है। प्रस्ताव में यदि एक रुपये प्रति वर्ग मीटर सालाना की दर से लीज किराया निर्धारित किया जाता है, तो 3,108.72 वर्ग मीटर जमीन के लिए महानगरपालिका को सालाना महज करीब 3,109 रुपये ही प्राप्त होंगे। आज़मी ने इसी अंतर को लेकर सवाल उठाया है कि करोड़ों रुपये मूल्य की सार्वजनिक जमीन को इतनी कम वार्षिक राशि पर लीज पर देने का वित्तीय औचित्य क्या है। उन्होंने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि इस रियायती लीज दर को निर्धारित करने के लिए किन नियमों और वित्तीय मानकों का पालन किया गया है। क्या इसके लिए सक्षम सरकारी प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी ली गई है और क्या महानगरपालिका ने जमीन के बाजार मूल्य तथा प्रस्तावित लीज से मिलने वाली आय का तुलनात्मक आकलन कराया है? कांग्रेस नेता का कहना है कि इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि नागरिकों को पता चल सके कि इस व्यवस्था से महानगरपालिका के हितों की रक्षा किस तरह होगी।

ग्लोबल सिटिजन स्कॉलरशिप 2027 के लिए आवेदन शुरू

मेधावी छात्रों को सिंगापुर में 11वीं-12वीं की पढ़ाई का मिलेगा अवसर, 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता

मुंबई। ग्लोबल स्कूल्स ग्रुप (जीएसजी) ने ग्लोबल सिटिजन स्कॉलरशिप 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत देशभर के प्रतिभाशाली छात्रों को सिंगापुर स्थित जीआईआईएस स्मार्ट कैंपस में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा।



इस दो वर्षीय स्कॉलरशिप में चयनित छात्रों को 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस, आवास, भोजन और निर्धारित भत्ता प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थी सीबीएसई या इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा प्रोग्राम (आईबीडीपी) में पढ़ाई कर सकेंगे।

जीएसजी के चेयरमैन एवं सह-संस्थापक अतुल तेमुर्निकर ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रतिभाशाली छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना है।

इस स्कॉलरशिप के लिए वर्तमान में कक्षा 10वीं में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन के आधार पर होगा, जिसमें शैक्षणिक प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता और उपलब्धियों को महत्व दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

आरे के स्वास्थ्य केंद्र का पूरा खर्च उठाएगी बीएमसी

मुंबई। गोरेगांव स्थित आरे मिल्क कॉलोनी में प्रस्तावित स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और संचालन की पूरी जिम्मेदारी अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) उठाएगी। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से निर्माण लागत का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा लेने की विपक्षी सदस्यों की मांग को बुधवार, 18 नवंबर को सुधार समिति की बैठक में बहुमत से खारिज कर दिया गया। बैठक में इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सदस्यों ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत का समर्थन करते हुए परियोजना के वित्तीय बोझ को राज्य सरकार के साथ साझा करने की मांग की, लेकिन सत्तापक्ष ने मूल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक का पूरा आर्थिक भार महानगरपालिका पर आ गया है।

बैठक के दौरान आरे मिल्क कॉलोनी और आसपास के आदिवासी बहुल पाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सदस्यों का कहना था कि इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों को सामान्य बीमारी से लेकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और आपातकालीन परिस्थितियों तक में उपचार के लिए दूर जाना पड़ता है। आसपास पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को समय पर इलाज मिलने में कठिनाई होती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता रहती है। ऐसे में आरे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना स्थानीय आबादी के लिए



महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

शिवसेना (यूबीटी) के जितेंद्र वल्वी ने बैठक में कहा कि आरे और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय नागरिकों को इलाज के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। कई बार दूरी और समय के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रस्तावित स्वास्थ्य केंद्र में केवल सामान्य उपचार की व्यवस्था करने के बजाय गंभीर और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं विकसित करने की मांग की। उनका विशेष जोर दुर्घटना उपचार विभाग शुरू करने और सर्पदंश के मामलों में तत्काल इलाज उपलब्ध कराने पर रहा।

आदिवासी क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं गंभीर समस्या बन सकती हैं। ऐसे मामलों में मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना और उचित उपचार मिलना बेहद जरूरी होता है। यदि स्वास्थ्य केंद्र में सर्पदंश के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं, उपकरण और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था रहती है, तो स्थानीय लोगों को काफी राहत मिल सकती है। इसी तरह दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के लिए प्राथमिक आपातकालीन उपचार की सुविधा उपलब्ध होना भी जरूरी है। वल्वी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित केंद्र को क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए, ताकि आदिवासी परिवारों को इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों पर निर्भर न रहना पड़े। बैठक में अस्पताल के लिए आवंटित सरकारी जमीन के भविष्य के उपयोग को लेकर भी चिंता जताई गई। जितेंद्र वल्वी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार छह महीने का नोटिस देकर जमीन वापस ली जा सकती है। उन्होंने इस व्यवस्था के संदर्भ में मांग की कि भविष्य में भी इस जमीन का इस्तेमाल केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना था कि जिस उद्देश्य से जमीन उपलब्ध कराई गई है, उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं से अलग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं होना चाहिए। स्थानीय आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवंटित जमीन का उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप बने रहना जरूरी है।

वित्तीय जिम्मेदारी के मुद्दे पर शिवसेना (ठाकरे) के सचिन पडवळ और कांग्रेस के अशरफ आज़मी ने उपसूचना के माध्यम से राज्य सरकार से निर्माण लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा देने की मांग की। विपक्षी सदस्यों का तर्क था कि आरे और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी दूर करना केवल महानगरपालिका की नहीं, बल्कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसलिए परियोजना के निर्माण में राज्य सरकार को आर्थिक भागीदारी करनी चाहिए। उनका मानना था कि यदि निर्माण लागत का आधा हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है, तो बीएमसी पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास में भी किया जा सकेगा।

अभय योजना की जानकारी बिजली ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए टोरेंट पावर जनजागरूकता फैलाए

भि वंडी । महाराष्ट्र राज्य के बिजली ग्राहकों के बकाया बिजली बिलों पर ब्याज माफी देने वाली 'अ भ य योजना' की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिलों के ब्याज में १०० प्र तिशत माफी देने का निर्णय आम बिजली ग्राहकों के लिए बेहद राहत भरा है। लेकिन भिवंडी शहर में बिजली वितरण करने वाली टोरेंट पावर कंपनी की ओर से इस बारे में उचित जनजागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। इसे देखते हुए भाजपा गटनेता संतोष शेट्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ टोरेंट पावर के अधिकारियों से मुलाकात कर मांग की है कि वे सही जानकारी बिजली



ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाएं। इस प्रतिनिधिमंडल में मल्लेशाम कोंका, हसमुख पटेल और अन्य लोग शामिल थे। इस योजना का लाभ केवल उन ग्राहकों को मिलेगा जिनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, या फिर उन ग्राहकों को भी १०० प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा जिनकी बिजली आपूर्ति फिलहाल नियमित रूप से चालू है और जिन पर पुराने बिलों का बकाया है—इस बात को लेकर नागरिकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए टोरेंट पावर कंपनी को इस विषय पर जनजागरूकता फैलाकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया तथा अंतिम तिथि के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। जिनका बिजली कनेक्शन कटा हुआ है और जिनकी बिजली आपूर्ति अभी चालू है, ऐसे सभी पात्र ग्राहकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए संतोष शेट्टी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि नागरिकों को योजना की पूरी जानकारी मिले और वे इसका प्रत्यक्ष लाभ उठा सकें, इसके लिए इलाकेवार जनजागरूकता शिविर और सूचना केंद्र शुरू किए जाएं।

डॉ. धन सिंह रावत 'उत्तराखंड पूर्ण साक्षरता गौरव सम्मान–2026' से सम्मानित

गढ़वाल भ्रातृ मंडल के दीपावली स्नेह सम्मेलन में मेधावी विद्यार्थियों और समाजसेवियों का भी हुआ सम्मान

मुंबई। उत्तराखंडियों की प्रतिनिधि संस्था गढ़वाल भ्रातृ मंडल, मुंबई की ओर से अंधेरी रीक्रिएशन क्लब में दीपावली स्नेह सम्मेलन एवं विशिष्ट सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य के कैबिनेट शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को 'उत्तराखंड पूर्ण साक्षरता गौरव सम्मान–2026' से सम्मानित किया गया।



कार्यक्रम की अध्यक्षता चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं समाजसेवी मोहन काला ने की। इस अवसर पर कक्षा 10वीं और 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों तथा चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, वास्तुकला और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

समाजसेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेम पोखरियाल, रमेश बलोदी, भरत सिंह गुसाईं, कीर्ति सिंह नेगी और विनोद भारद्वाज को 'उत्तराखंड समाज सेवा सम्मान–2026' प्रदान किया गया।

मंडल के अध्यक्ष रमण मोहन कुकरेती ने स्वागत भाषण में संस्था की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना संस्था की प्राथमिकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। लोक गायिका रत्ना कुंवर एवं अनीता रावत ने पारंपरिक मांगल गीत प्रस्तुत किए।

इस अवसर पर विनोद मेहता, राधा वल्लभ ध्यानी, डॉ. सुमन रावत, प्रो. प्यारे लाल जोशी, विनोद गुप्ता और शोभा ध्यानी जोशी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संचालन डॉ. राजेश्वर उनियाल, धनंजय रावत और सुरेंद्र भट्ट ने किया।

भिवंडी में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग; पूरी फैक्ट्री जलकर खाक, लाखों का नुकसान, दो घंटे बाद आग पर काबू



भिवंडी । भिवंडी शहर के ईदगाह रोड इलाके स्थित फकी कंपाउंड में मंगलवार शाम गद्दे की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना हुई। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रुई, गद्दे बनाने का कच्चा माल, कपड़ा और तैयार गद्दों का स्टॉक होने के कारण आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते पूरी गद्दा फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई।

अचानक लगी इस आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही भिवंडी द म क ल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का सटीक का र ण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिक अनुमान के तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। इस आग में गद्दा फैक्ट्री का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई।

दहिसर के पाटिलवाड़ी में 19 अवैध निर्माण ध्वस्त

मुंबई। दहिसर के पाटिलवाड़ी इलाके में सड़क चौड़ीकरण की राह में बाधा बन रहे 19 अनधिकृत निर्माणों को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुधवार, 18 नवंबर को ध्वस्त कर दिया। महानगरपालिका की ओर से 'पादचारी प्रथम' अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई से विकास आराखड़े के अनुसार प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। करीब 70 मीटर लंबे इस सड़क मार्ग की मौजूदा चौड़ाई महज चार मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 18.30 मीटर किया जाएगा। सड़क की चौड़ाई बढ़ने से स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र में लंबे समय से बनी यातायात जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। दहिसर के पाटिलवाड़ी इलाके में यह मार्ग स्थानीय आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सड़क संकरी होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता था। विशेष रूप से आसपास के प्रमुख



स्थानों की ओर जाने वाले लोगों को यातायात बाधित होने और जाम की स्थिति से जूझना पड़ता था। सड़क के दोनों ओर मौजूद अनधिकृत निर्माण चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे। ऐसे में बीएमसी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए 19 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इससे अब प्रस्तावित सड़क विकास कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है।

महानगरपालिका के अनुसार, विकास आराखड़े में इस मार्ग को 18.30 मीटर चौड़ा करने का प्रावधान है। मौजूदा समय में इसकी चौड़ाई केवल चार मीटर होने के कारण वाहनों की आवाजाही सीमित रहती थी। चौड़ीकरण के बाद सड़क पर आवागमन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। इससे न केवल निजी वाहनों बल्कि स्थानीय परिवहन और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी आने-जाने में आसानी होगी। सड़क के चौड़ा होने से पैदल चलने वाले नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इस सड़क चौड़ीकरण का सीधा लाभ लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उद्यान के आसपास के क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। यहां सड़क संकरी होने के कारण अक्सर यातायात का दबाव बढ़ जाता था। इसके अलावा मंडपेश्वर गुफा, जेबीसीएन स्कूल, दहिसर गांवठाण और मैरी इमैक्यूलेट स्कूल की ओर आने-जाने वाले नागरिकों तथा वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। इन प्रमुख स्थानों तक पहुंचने वाले मार्ग पर आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था बेहतर होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी सुविधा मिलने की संभावना है। बीएमसी ने अतिक्रमण हटाने के बाद इस मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाने की तैयारी शुरू करने की बात कही है। प्रस्तावित सड़क निर्माण पूरा होने के बाद इसे आम नागरिकों और वाहन चालकों के लिए खोल दिया जाएगा। सीमेंट कंक्रीट सड़क बनने से मार्ग को बेहतर और टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही चौड़ी सड़क के कारण वाहनों की आवाजाही अधिक सुचारु होने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण कार्य पूरा होने और सड़क आम लोगों के लिए उपलब्ध होने के बाद ही इस परियोजना का वास्तविक लाभ सामने आएगा।

यह कार्रवाई परिषद-7 के उपायुक्त मनीष वळंजू और आर-उत्तर वार्ड के सहायक आयुक्त रोहित त्रिवेदी के मार्गदर्शन में की गई। अभियान को पूरा करने के लिए महानगरपालिका की टीम ने एक जेसीबी, दो डंपर, पांच इंजीनियर और 16 श्रमिकों को तैनात किया था।

टोयोटा ड्रीम कार आर्ट कॉन्टेस्ट के 20वें संस्करण की घोषणा

15 वर्ष तक के बच्चे दिखा सकेंगे अपनी कल्पनाशीलता, 15 जनवरी 2027 तक आमंत्रित हैं प्रविष्टियां



आर एस नेटवर्क ।संवाददाता

मुंबई। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने टोयोटा ड्रीम कार आर्ट कॉन्टेस्ट के 20वें संस्करण की घोषणा की है। इस वैश्विक प्रतियोगिता का विषय 'आपकी ड्रीम कार' रखा गया है। इसमें 15 वर्ष तक के बच्चे अपनी कल्पना की कार को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रतियोगिता तीन आयु वर्गों में आयोजित होगी। पहला वर्ग 7 वर्ष या उससे कम, दूसरा 8 से 11 वर्ष और तीसरा 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग से तीन विजेताओं सहित कुल नौ प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जो मार्च 2027 में वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक स्वीकार की जाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और भविष्य की मोबिलिटी के प्रति नवाचार को प्रोत्साहित करना है।